



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2022/HQ/Admin/RTI-1245

New Delhi: 20.10.2022

श्री शिवदर्शन

पुत्र श्री गजराज सिंह

निवासी मुहल्ला महिला थाने के पास

जयराम नगर फतेहपुर

उत्तर प्रदेश-212601

मोबाइल-9839174925

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 14.09.2022, जो इस कार्यालय में दिनांक 21.09.2022 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा

महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,

चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,

प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 03 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)

संयुक्त महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

मोबाइल-9717636811

No.: PRYJ(W) EN/RTI/49-(Vol-IV)/ 2973

Date: 12.10.2022

एस. के. पाण्डा  
जे.जी.एम/एडमिन (सी.पी.आई.ओ.)  
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.  
नई दिल्ली।

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री शिवदर्शन के द्वारा माँगी गयी सूचना के सम्बन्ध में।

- संदर्भ: (1) प्रधान कार्यालय पत्रांक 2022/HQ/ADMIN/RTI-1245 दिनांक 22.09.2022।  
(2) इस कार्यालय का पत्रांक PRYJ(W) EN/RTI/49-(Vol-IV)/2915 दिनांक 27.09.2022।  
(3) इस कार्यालय का पत्रांक PRYJ(W) EN/RTI/49-(Vol-IV)/2955 दिनांक 08.10.2022।


महोदय,

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा वांछित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत हस्तान्तरित की गयी थी, उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर प्रार्थी की वांछित सूचना का उल्लेख बिन्दुवार निम्नलिखित है:-

1. ग्राम खम्भापुर तहसील, परगना व जिला फतेहपुर के गाटा संख्या 70 की भूमि का अधिग्रहण डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना के निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कानपुर नगर द्वारा अवार्ड कार्य किया गया था।
2. डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के गाटा संख्या 70 मिन्ज के प्रतिकर का भुगतान सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कानपुर नगर कार्यालय के पश्चात् इस कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार राजेश पुत्र जियालाल, राजेन्द्र सिंह, रामप्रताप सिंह, अर्जुन सिंह, मान सिंह एवं बृजेन्द्र सिंह पुत्रगण हनुमान सिंह, ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, राघवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्रगण कृष्ण पाल सिंह, बद्रीप्रसाद गुप्ता पुत्र रामबली गुप्ता, नरेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्रीपाल गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता पुत्र बद्रीप्रसाद गुप्ता, वेद प्रसाद गुप्ता पुत्र रामशंकर गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता पुत्र हनुमान दास गुप्ता, श्रीराम गुप्ता पुत्र जगदीश प्रसाद गुप्ता एवं राजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र कृष्णपाल सिंह को किया जा चुका है, शेष काश्तकारों के प्रतिकर भुगतान की समस्त कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कानपुर नगर कार्यालय द्वारा की जानी है।

उक्त पर महाप्रबंधक (समन्वय)/प्रयागराज (पश्चिम) का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नक: यथोक्त।

  
(अजीत कुमार सिंह)  
उप परि० प्र०/ए.पी.आई.ओ.  
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.  
प्रयागराज (पश्चिम)

प्रतिलिपि: (1) महाप्रबंधक (समन्वय)/प्रयागराज (पश्चिम), को सादर सूचनार्थ।  
(2) उप मुख्य परि० प्र०/अभि०/प्रयागराज (पश्चिम), को सादर सूचनार्थ।

No.: PRYJ(W) EN/RTI/49-(Vol-IV)/ 2355

Date: 08.10.2022

कनिष्ठ परि० प्र०/अभि०  
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.  
प्रयागराज पश्चिम।


विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री राधेश्याम, श्री शिवदर्शन एवं सीताराम पुत्रगण श्री गजराज सिंह के वांछित सूचना के सम्बन्ध में।

- संदर्भ: (1) प्रधान कार्यालय पत्रांक 2022/HQ/ADMIN/RTI-1244, 1245, 1246 अनुस्मारक दिनांक 07.10.2022।  
(2) आपका ईमेल दिनांक 03.10.2022।  
(3) इस कार्यालय का पत्रांक ALD (W) EN/RTI/49-(Vol-IV)/2915 दिनांक 27.09.2022.  
(4) प्रधान कार्यालय पत्रांक 2022/HQ/ADMIN/RTI-1244, 1245, 1246 दिनांक 22.09.2022।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री राधेश्याम, श्री शिवदर्शन एवं श्री सीताराम पुत्रगण गजराज सिंह निवासी, महिला थाना जयराम नगर फतेहपुर द्वारा वांछित सूचना हेतु संयुक्त महाप्रबंधक/एडमिन (सी.पी.आई.ओ.), नई दिल्ली, का पत्र सन्दर्भ संख्या (4) के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। वांछित सूचना आपसे सम्बन्धित थी जिसे प्राप्त करने हेतु सन्दर्भ संख्या (3) के माध्यम से आपको प्रेषित किया गया था। जिस पर आपके द्वारा सन्दर्भ संख्या (2) द्वारा वांछित सूचना से अवगत कराया गया है जो कि सन्तोषजनक नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वांछित सूचना की बिन्दुवार आख्या स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। क्योंकि बिन्दु संख्या 01 के अन्तर्गत गाटा संख्या 70 ग्राम खम्भापुर अभिनिर्णय से प्रभावित है या नहीं एवं उसका भुगतान हुआ है या नहीं की सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। यदि वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है उस दशा में आर.टी.आई. की सुसंगत धारा 6 (3) के अन्तर्गत सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी/भूमि अध्याप्ति अधिकारी को हस्तान्तरित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

  
(अजीत कुमार सिंह)  
उप परि० प्र०/ए.पी.आई.ओ.  
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.  
प्रयागराज (पश्चिम)

- प्रतिलिपि: (1) महाप्रबंधक (समन्वय)/प्रयागराज (पश्चिम), को सादर सूचनार्थ।  
(2) उप मुख्य परि० प्र०/अभि०/प्रयागराज (पश्चिम), को सादर सूचनार्थ।

No.:ALD (W) EN/RTI/49-(Vol-IV)/2015

Date: 27.09.2022

कनिष्ठ परि० प्र०/अभि०  
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.  
प्रयागराज पश्चिम।


विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री राधे श्याम, श्री शिवदर्शन एवं सीताराम के द्वारा गौरी गयी सूचना के सम्बन्ध में।

संदर्भ: (1) प्रधान कार्यालय पत्रांक 2022/HQ/ADMIN/RTI-1244, 1245, 1246 दिनांक 22.09.2022  
(2) ई-मेल दिनांक 27.09.2022।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री राधे श्याम, श्री शिवदर्शन एवं श्री सीताराम पुत्रगण गजराज सिंह निवासी नियर महिला थाना जयसम नगर फतेहपुर द्वारा वांछित सूचना हेतु संयुक्त महाप्रबंधक/एडमिन (सी.पी.आई.ओ.), नई दिल्ली, का पत्र संदर्भ संख्या (2) के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ।

अतः आपको अवगत कराना है कि आवेदकों की वांछित सूचनाएं कतिपय आपसे सम्बन्धित हैं। अतएव सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विषयगत प्रार्थनापत्र की प्रति आपको हस्तान्तरित की जाती है।

अतः अनुरोध है कि सम्बन्धित विन्दुओं की वांछित सूचनाएं इस कार्यालय को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
(अर्जुन कुमार सिंह)  
उप परि० प्र०/ए.पी.आई.ओ.  
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.  
प्रयागराज (पश्चिम)

प्रतिलिपि: (1) मुख्य महाप्रबंधक/प्रयागराज पश्चिम, को सादर सूचनार्थ।  
(2) उप मुख्य परि० प्र०/अभि० प्रयागराज पश्चिम, को सादर सूचनार्थ।